अनुस्मारक / सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

पत्रांक– स0नि0–992 आय–व्ययक (2019–20) / 2018–19 / 597 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
   नोएडा जोन नोएडा
2. **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर**
   वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
3. **अपर निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान**
   उ0प्र0 लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) लखनऊ::दिनांक::अक्टूबर, 03 2018

विषयः– आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 का आय–व्ययक अनुमान के प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया मुख्यालय के पत्र सं0 549 दिनांक 19.09.2018 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 का आय–व्ययक अनुमान तैयार कराकर शासन को शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुदान सं0–89 के अन्तर्गत निम्न लेखाशीर्षक / मदों के अन्तर्गत वांछित धनराशि का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान / विवरण तैयार कर दिनांक 24.09.2018 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी परन्तु अभी तक अनुमान / विवरण उपलब्ध नहीं कराया गयाः–

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	मद सं0
1	2040– बिक्री, व्यापार आदि पर कर– 800–अन्य व्यय आयोजनेत्तर– 03–वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	29–अनुरक्षण
2.	2059–लोक निर्माण कार्य 01– कार्यालय भवन आयोजनेत्तर 051–निर्माण 03–वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत हेतु एवं रख–रखाव कार्य।	29–अनुरक्षण
3.	2216–आवास 01–सरकारी रिहायशी भवन आयोजनेत्तर 700–अन्य आवास 03– वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य।	29–अनुरक्षण
4.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन–आयोजनेत्तर 051–निर्माण 31–सहायता केन्द्र / विभागीय कार्यालय भवनों / आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य।	25–लघु निर्माण

5.	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन आयोजनेत्तर 051–निर्माण	24–वृहद निर्माण कार्य
6.	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन आयोजनेत्तर 051–निर्माण	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जोन से संबंधित कार्यालयों के उपयोगार्थ अनुदान सं0–89 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक/मदो के अन्तर्गत वांछित धनराशि का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान (प्रस्ताव) विवरण तैयार कराकर तत्काल अधोहस्ताक्षरी को **दिनांक 08.10.2018 तक विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।** यदि निर्धारित समय पर प्रस्ताव आपके जोन से प्राप्त नहीं होता है, तो शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाना संभव नही होगा।

भवदीया

03/10/18

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दि0उक्त

प्रतिलिपि:– डिप्टी कमिश्नर(प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।